तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी टी.ए./2456/2005/जयपुर** **हनुमान बनाम रामरतन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-04-2021	**<u>एकल–पीठ (जयपुर कैम्प)</u>** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री हेमन्त दीक्षित, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री हेमन्त सोगानी, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आलोच्यय आदेश दिनांक 25.04.2005 के द्वारा विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटपूतली ने प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 खारिज कर दिया। जिससे ग्रसित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी में सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी/ वादी संख्या 1 रामरतन द्वारा पूर्व में दायर वाद संख्या 240/95 भी समान खसरा नं 755 के सबंध में तथा समान अनुतोष, समान वाद हेतुक व समान आधारों पर इन्हीं पक्षकारों के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था, जो दिनांक 13.11. 2000 को खारिज हो चुका था। वादी पूर्व वाद बिना रेस्टोर कराये नया वाद लाने में सक्षम नहीं था। किन्तु विचारण न्यायालय ने इस महत्पूर्ण तथ्यो नजरअंदाज करते हुये प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि विवादित भूमि समान होने मात्र से पक्षकारों के परिवर्तन मात्र से अप्रार्थी को नया वाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी टी.ए./2456/2005/जयपुर** **हनुमान बनाम रामरतन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

लाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उसके पूर्व वाद को रेस्टोर करवाकर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के समर्थन में 2003 आर0आर0डी0 पृष्ठ 463, 1993 आर0आर0डी0 पृष्ठ 575, 1990 आर0आर0डी0 पृष्ठ 650, 1965 ए0आई0आर0, एस0सी0 पृष्ठ 296 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व वाद संख्या 240/95 में रामरतन/अप्रार्थी तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 था। वाद में विवादित रकबा 755 के समस्त रकबे पर हुक्मइम्तिनाई दवामी की डिक्री पाने के लिए प्रस्तुत किया था। जिसमें किसी भी पक्षकार के उपस्थिति नहीं होने के कारण वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया था। उक्त वाद आदेश 9 नियम 3 सी0पी0सी0 के तहत खारिज किया था ना की आदेश 9 नियम 8 सी0पी0सी0 के तहत। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वादी को कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने पर कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। बहस के विद्वान अभिभाषक ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत बताते हुये प्रार्थी की निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि :–

‘‘जहां तक रेसज्यूडिकेटा से वादी का दावा बार्ड होने का प्रश्न है। इस संबंध में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर0आ0डी0 1992 पृष्ठ 207 में यह विनिश्चय किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी टी.ए./2456/2005/जयपुर** **हनुमान बनाम रामरतन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि उस वाद में तनकीयात बनाकर या साक्ष्य दर्ज की जाकर निस्तारण किया गया हो। केवल मात्र दावे के अदम हाजरी में खारिज हो जाने से पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इसी प्रकार आर0आ0डी0 1996 पृष्ठ 107 में यह विनिश्चय किया है कि रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त पर यदि कोई उज्र किया जाता है तो प्रतिवादी बिना जबाव दावा पेश किये इस प्रकार उज्र नहीं उठायेगा। प्रकरण में में नया दावा विवादित आराजी ख0न0 755/0.65 है0 में से केवल 0.08 है0 के संबंध में पेश किया है। जबकि पूर्ववर्ती वाद संख्या 240/85 वादग्रस्त भूमि ख0न0 755/0.77 है0 के समस्त रकबे पर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो वास्ते तल्बी जैरकार था एवं प्रार्थी /प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेशिका से जबावा दावा प्रस्तुत किया जाना भी साबित नहीं होता है। इसी दौरान पक्षकारान की अदम हाजरी व अदम पैरवी में उक्त पूर्ववर्ती वाद खारिज कर दिया गया। इस प्रकार योग्य वकील अप्रार्थी /वादी द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रश्नगत मामले में पूर्णतया चस्पा होती है।'' उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि चूंकि पूर्व वाद आदेश 9 नियम 8 सी0पी0सी0 के तहत खारिज नहीं होकर आदेश 9 नियम 3 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दोनो पक्षकारों के अनुपस्थित रहने के कारण खारिज किया गया है। प्रार्थना पत्र में संदर्भित पूर्व वाद का निर्णय गुणावगुण पर अंतिम निर्णय नहीं होकर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया गया था। इस कारण विवादित भूमियों के संबंध में किन्हीं भी तथ्यात्मक व विधिक विवाधक बिन्दुओं का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों के आधार पर भी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी टी.ए./2456/2005/जयपुर** **हनुमान बनाम रामरतन वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होने की पुष्टि होती है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत व न्यायसंगत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटपूतली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.04.2005 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	